न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 141/2021 अपील/चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/152)
पंजीयन दिनांक– 04.03.2021
निर्णय दिनांक– 30.12.2021

1. श्री केवलराम पिता कालुराम माली, निवासी भदेसर, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ।

–अपीलांट

बनाम

1. श्री अब्दुल गफ्फार पिता रहीम बक्ष नीलघर, निवासी भदेसर, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ के बजायः–

1/1 अफसाना पुत्री अब्दुल गफ्फार मुसलमान, निवासी भदेसर, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।

1/2 रूकसाना पुत्री अब्दुल गफ्फार मुसलमान, निवासी भदेसर, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।

1/3 रूबिना पुत्री अब्दुल गफ्फार मुसलमान, निवासी भदेसर, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।

1/4 रायना पुत्री अब्दुल गफ्फार मुसलमान, निवासी भदेसर, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।

1/5 शाहीना पुत्री अब्दुल गफ्फार मुसलमान, निवासी भदेसर, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।

2. श्रीमती फातमा बेवा अब्दुल गफ्फार मुसलमान, निवासी भदेसर, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री नरेश जणवा – अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री पी. सी. पालीवाल – अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के
प्रकरण संख्या 16/2014 निर्णय दिनांक 22.02.2016

निर्णय

दिनांक 30.12.2021

1. अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 16/2014 निर्णय दिनांक 22.02.2016 के विरूद्ध दिनांक 14.03.2016 को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ को पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में दिनांक 17.02.2020 को दर्ज की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 04.03.2021 को दर्ज की गई।

2. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने एक प्रार्थना अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि आवंटित भू–आवंटन कमेटी द्वारा राजस्व ग्राम भदेसर की आराजी नम्बर 200 मीन रकबा 2 बीघा भूमि के संबंध में आवंट आदेश पारित किया है वह किस्म मगरी होकर आवंटन योग्य भूमि नहीं होते हुए भी रेस्पोडेंट्स को आंवटन कर दी एवं यह भी निवेदन किया कि आवंटित आराजीयात पर आवंटन से पूर्व ही अपीलंट का अपने पूर्वजों के समय से कब्जा चला आ रहा है, फिर भी जो आवंटन आदेश पारित किया है वह वैधानिक प्रावधानों के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 16/2014 निर्णय

दिनांक 22.02.2016 से अपीलांट का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 22.02.2016 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः— ***"प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किा जाता है तथा विपक्षी को ग्राम भदेसर की आराजी नम्बर 200 मीन, रकबा 2 बीघा का आवंटन यथावत रखा जाता है।"***

3. उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

4. यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश जणवा उपस्थित व रेस्पोडेंट्स की ओर से अधिवक्ता श्री पी. सी. पालीवाल उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 14.12.2021 को सुनी गई।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायाालय में अपीलांट ने यह तथ्य अंकित किया कि आवंटी/रेस्पोडेंट्स को आवंटन से पूर्व भी कृषि भूमि आवंटित हुई थी जिसको उसके द्वारा दिगर लोगो को विक्रय कर दी तथा आवंटी के नाम रसद का लाईसेंस भी है जिससे भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि न्यायालय को गुमराह करते हुए आवंटन करवाया है। अपीलांट पेशे से काश्तकार होकर आवंटित आराजीयात पर आवंटन के पूर्व से ही भौतिक रूप से काबिज होकर अपने मवेशियों को बांधने के लिए काम में उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा आवंटी द्वारा जिस उद्देश्य से आवंटन करवाया है उसकी पालना नहीं की है। फिर भी उक्त तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए प्रार्थना पत्र अपीलांट निरस्त करने का जो आदेश पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ

न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

6. अधिवक्ता रेस्पोंडेंट्स ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेंट्स को किया गया आवंटन न्याय विधि एंव नियमों के अनुसार सही व विधि सम्मत है। उक्त भूमि राजकीय बिलानाम कृषि योग्य भूमि है जो काबिल काश्त होकर आवंटन योग्य है। रेस्पोडेंट्स सद्भावी काश्तकार एवं भूमिहीन होकर आवंटन की पात्रता रखते थे इसलिए विधिवत् आवंटन किया गया है। यह सरकार की प्रक्रिया है, इसको चैलेंज करने का अपीलांट को कोई वैधानिक अधिकार नही है। अपीलांट द्वारा आवंटन हेतु आवेदन किया हो निरस्त हो गया है तथा अपीलांट के विरूद्ध नाजायज कब्जे की कार्यवाही चली हो ऐसा भी कोई कथन एवं दस्तावेज नही है। आवंटन नियमानुसार होकर वैद्य है विधि सम्मत है। अपीलांट का एक भी दिन उक्त भूमि पर कब्जा नही रहा है, 25 वर्ष का कब्जा होना मिथ्या कथन है। थोरों की बाड़ विवादित आराजी में नही थी न ही है। उक्त भूमि कब्जा रहित होकर सरकारी बिलानाम थी। भू–आवंटन कमेटी द्वारा विधिवत उद्घोषणा जारी की गई थी एवं कोरम कमेटी की सहमति से विधिवत् आवंटन किया गया है। आवंटी का आवंटन दिनांक से ही कब्जा है। आवंटी ने काफी खर्चा कर उक्त भूमि को काबिल काश्त बनाया है। रेस्पोडेंट के नाम पर इंतकाल संख्या 1085 दिनांक 06.05.2013 को गैर खातेदारी का स्वीकृत हो चुका है। रेस्पोडेंट का उक्त भूमि पर भौतिक रूप से कब्जा है। अधिवक्त रेस्पोडेंट द्वारा अपील बहस के समर्थन में न्यायिक नजीर RRD 1994 Page 487, 87 का हवाला प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 22.02.2016 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाने बाबत् निवेदन किया गया।

7. प्रकरण में अपीलांट द्वारा दिनांक 24.10.2017 को आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी के तहत एक आवेदन प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट को वार्ड संख्या 3, 4 एवं 6 का राशन डिलर होने से संबंधित उपभोक्ताओं के राशन कार्ड की प्रति पेश की है तथा उक्त अपील की प्लीडिंग्स से सुसंगत होने के कारण उसे रेकार्ड पर रखे जाने की अनुज्ञा चाही है। इसके जवाब में रेस्पोडेंट द्वारा वर्णित किया गया है कि जमीन 2 जनो को 2 बीघा आवंटित हुई है, पुरे परिवार का भरण पोषण करना होता है। आवंटी का काश्तकार नही होना साबित नही होता तथा उसकी पत्नि व बच्चे खेती पर ही निर्भर है। दौराने बहस वकील रेस्पोडेंट द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि बवक्त आवंटन आवंटी डिलर रहा हो ऐसी कोई दिनांक से प्रमाणित नही होता।

8. उपरोक्त आवेदन के संदर्भ में उभयपक्षों को सुनने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अपीलांट द्वारा यह नई प्लींडिंग पेश की है, जो अधीनस्थ न्यायालय में नही थी। राशन कार्डो पर वर्णन से आवंटन दिनांक को आवंटी डिलर रहा हो ऐसी भी कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नही है। अब्दुल गफ्फार की मृत्यु भी हो चुकी है, उसकी पत्नि भी सहआवंटी है। बवक्त आवंटन डिलर होने की प्रमाणिकता नही होने तथा इससे सद्भावी काश्तकार नही होना प्रमाणित नहीं होता। दस्तावेज सुसंगत व प्रासंगिक नही होने से रेकार्ड पर नही रखा जा सकता। आवेदन निरस्त किया जाता है।

9. अपीलांट द्वारा एक अन्य आवेदन आदेश 26 नियम 9 का प्रस्तुत कर मौका निरीक्षण का आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमे मौलिक रूप से कब्जे की साक्ष्य एकत्रित करवाया जाना उद्देश्यगत है। उक्त आवेदन का जवाब रेस्पोडेंट द्वारा देते हुए कथन किया कि अपीलांट प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में काश्त करना एवं चरण संख्या 3 में मवेशी बांधना बताता है, जो दोनो ही गलत है।

10. उभयपक्षों को उक्त आवेदन पर सुनने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि न्यायालय किसी भी पक्ष के लिए साक्ष्य सृजन

नही कर सकता। तद्नुसार मौका निरीक्षण इस न्यायालय द्वारा करवाया जाना वांछनिय नही है, अतएवं यह आवेदन खारिज किया जाता है।

11. प्रकरण में इस न्यायालय की पत्रावली में बिना सक्षम आदेश के पटवारी द्वारा तहसीलदार के आदेश का हवाला देते हुए एक मौका रिपोर्ट तैयार की है जिसे तहसीलदार द्वारा अपने पत्र दिनांक 09.11.2017 से इस न्यायालय की पत्रावली में पेश किया उक्त मौका निरीक्षण में काश्त नही करना व शर्तो की पालना नही करना अवगत करवाया है। यह मौका रिपोर्ट बिना किसी सक्षम आदेश के एवं अपीलांट की अनुपस्थिति में बनाई गई है अतएवं न्यायालय इस पर कोई प्रसंज्ञान लेना उचित नही समझता।

12. अब हम प्रकरण में उभयपक्ष के कथनोपकथन, बहस एवं दस्तावेजात का अवलोकन कर गुणावगुण पर निर्णय करना उचित समझते है। अपीलांट आवेदक द्वारा मुलतः अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन भूमि पर स्वयं का कब्जा होना एवं उद्घोषणा नही किये जाने के आधार पर प्रस्तुत किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन को अपने सुविचारित निर्णय के साथ खारिज किया है। अपीलांट का कब्जा होने की कोई साक्ष्य नही है। अपीलांट द्वारा उक्त आवंटित भूमि के आवंटन/नियमन का कोई आवेदन किया जाना भी प्रमाणित नही है। आवंटित भूमि आवंटन निषिद्ध श्रेणी में भी नहीं आती। आवंटन प्रक्रिया में कोई तकनीकी त्रुटि होना भी अपीलांट द्वारा प्रमाणित नही कराया गया है। विधिक रूप से विधिक आवंटी की तुलना में अतिक्रमी का कोई लोकस स्टैण्डडाई भी नही होता है। अपीलांट के कथनानुसार आवंटी का सद्भावी काश्तकार नही होना भी प्रमाणित नही है। रेस्पोडेंट द्वारा न्यायिक नजीर आर.आर.डी. 1994 पेज 87 तथा 487 प्रस्तुत की है, जिसके अनुसार आवंटन तकनीकी आधारों पर निरस्त नही करना चाहिए तथा फ्रॉड या मिसरिप्रजेंटेशन प्रमाणित होने पर ही

आवंटन निरस्त किये जाने के अधिकार होने का वर्णन एवं न्यायिक अभिमत है। उपरोक्तानुसार हमारे समग्र विवेचन से हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के आवंटन निरस्तीकरण आवेदन को खारिज किये जाने के निर्णय में कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नही पाते अतएवं अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर